



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940
No. 20]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआईएस) का कोटिकरण) विनियम, 2019

फा. सं. अभातशिप/पी.एंड ए.पी./एसआईएस/2019 .-निम्नलिखित सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

उद्देशिका

यतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) को स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआईएस) में उच्चतर शिक्षा के मानकों का अवधारित, प्रवर्तित और अनुसूचित करने का अधिदेश दिया गया है ;

यतः अभातशिप एक ऐसा समर्थकारी परिवेश सृजित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है जिसके द्वारा स्टैंडअलोन संस्थाएं वैश्विक उत्कृष्टता की संस्थाएं बन सकें ;

यतः अभातशिप यह मान्यता देता है कि उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रवर्तित और सांस्थानीकृत करने के लिए स्वायत्तता महत्वपूर्ण है तथा विनियामक ढांचे के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्चतर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान करे।

अतः, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 (ख), (छ), (झ) और (ड) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं का कोटिकरण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये उन सभी स्टैंडअलोन संस्थाओं पर लागू होंगे जो अभातशिप अधिनियम, 1987 के अनुसार अभातशिप के अनुमोदन के साथ पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को संचालित कर रही हैं।

(3) ये भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'प्रत्यायन' से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा, मूल्यांकन अथवा आकलन अथवा मान्यताप्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा अनुपालन की गई किन्हीं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के परिणामस्वरूप किसी स्टैंडअलोन संस्था अथवा उसमें संचालित किसी कार्यक्रम (मों) को शैक्षणिक गुणवत्ता के विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है ;

(ख) 'आकलन' से अभिप्रेत है स्टैंडअलोन संस्था के शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व उसकी भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित), प्रशासन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रवेश और विद्यार्थी मूल्यांकन प्रक्रियाओं तथा प्रशासन संरचना के निबंधनों के अनुसार स्टैंडअलोन संस्था की क्षमताओं का निर्धारण अथवा सत्यापन करने में शामिल प्रक्रिया ;

(ग) 'अभातशिप' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है, जैसा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में परिभाषित किया गया है ;

(घ) 'अंक' से संघयी अंक अभिप्रेत हैं जैसा राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) अथवा प्रासंगिक अभातशिप विनियमों के अंतर्गत अभातशिप द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य आकलन और प्रत्यायन एजेंसी (एएए) द्वारा अनुपालित किया जाता है ;

(ङ) 'राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए)' से अन्य के साथ-साथ देश में स्टैंडअलोन संस्थाओं का आकलन करने और प्रत्यायन प्रदान करने के लिए अभातशिप द्वारा स्थापित निकाय अभिप्रेत है ;

(च) 'मुक्त और दूरस्थ अधिगम रीति' से अभिप्रेत है विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए, जिनमें प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाईन और स्टैंडअलोन संस्था अथवा शिक्षार्थी सहायक सेवाओं की उपस्थिति के साथ आकस्मिक आमने-सामने बैठकें भी शामिल हैं, शिक्षण-अधिगम अनुभव प्रदान करना जिसमें प्रयोगात्मक और कार्य अनुभव भी सम्मिलित हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी की दूरी को समाप्त करते हुए लचीले शिक्षण अवसर उपलब्ध कराने की रीति ;

(छ) 'टाइम्स उच्चतर शिक्षा/क्यूएस रैंकिंग्स' से अभिप्रेत है टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) पत्रिका द्वारा और क्वाक्वेरिली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंगों का वार्षिक प्रकाशन ;

(ज) 'स्टैंडअलोन संस्थाओं' से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं, और नियमित अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से अभातशिप के अनुमोदन के साथ पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं जिनके फलस्वरूप प्रबंधन और सहबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र और स्नातक डिप्लोमा स्तर प्रदान किए जाते हैं ;

इन विनियमों में प्रयोग किए गए परंतु परिभाषित न किए गए परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में परिभाषित किए गए और इन विनियमों से असंगत शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

3. वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं के कोटिकरण हेतु ढांचा

अभातशिप उप-खंड (i), (ii) और (iii) तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विस्तृत मानदण्डों के अनुसार स्टैंडअलोन संस्थाओं को निम्नलिखित तीन कोटियों में कोटिबद्ध करेगा :

(i) कोटि-I स्टैंडअलोन संस्था :

स्टैंडअलोन संस्था कोटि-I में होगी, यदि -

क. इसे एनबीए द्वारा 1000 के मापमान (स्केल) पर 750 अथवा अधिक अंकों के साथ प्रत्यायित किया गया है ; अथवा

ख. इसे प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंगों जैसे टाइम्स उच्च शिक्षा अथवा क्यूएस में शीर्ष 500 के मध्य रैंक प्रदान किया गया है।

(ii) कोटि-II स्टैंडअलोन संस्था :

स्टैंडअलोन संस्था कोटि-II में होगी, यदि -

- इसे एनबीए द्वारा 1000 के मापमान पर 700 और अधिक, 750 तक के अंकों के साथ प्रत्यायित किया गया है।

(iii) कोटि-III स्टैंडअलोन संस्था :

स्टैंडअलोन संस्था कोटि-III में आएगी यदि यह कोटि-I अथवा कोटि-II के अंतर्गत नहीं आती है।

4. कोटि-I स्टैंडअलोन संस्था के लिए स्वायत्तता आयाम

4.1 स्टैंडअलोन संस्था अनुदानों के लिए पात्र होंगी तथा इसके लिए अभातशिप द्वारा कोई निरीक्षण अपेक्षित नहीं होगा।

4.2 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप को सूचित करते हुए ऐसे विषयक्षेत्रों में जो उनकी विद्यमान शैक्षणिक अवसंरचना का एक हिस्सा हैं उनके नवीन और नवोन्मेषी क्षेत्रों में अभातशिप के अनुमोदन के बिना डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नामावलियों के ऐसे साथ विषयक्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

4.3 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा से संगत ऐसे कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो अभातशिप की अनुमोदित नामावली से संगत हों।

4.4 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना या तो स्वयं का अथवा किसी निजी भागीदार के साथ भागीदारी करते हुए स्ववित्त पोषित रीति से अपना अनुसंधान पार्क, उद्भवन केन्द्र, संस्थान-समाज संपर्क केन्द्र आदि खोल सकेंगी। तथापि, ऐसी सभी व्यवस्थाओं में, समस्त अचल संपत्ति तथा संस्था के संसाधनों के माध्यम से प्राप्त उप/घटक चल संपत्ति के अवयव का स्वामित्व स्टैंडअलोन संस्था के पास रहेगा।

4.5 स्टैंडअलोन संस्थाएं, भारत सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अध्यधीन अभातशिप के अनुमोदन के बिना, उनकी कुल संस्वीकृत संकाय क्षमता के अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक ऐसे विदेशी संकाय की सेवाएं ले सकेंगी जिन्होंने विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग ढांचे, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन, वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग्स अथवा क्यूएस रैंकिंग्स की शीर्षस्थ पांच सौ (500) संस्थाओं में से किसी में शिक्षण कार्य किया हो। स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी शासी परिषदों/सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार आवधिक/संविदा आधार पर विदेशी संकाय को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी।

4.6 स्टैंडअलोन संस्थाएं उनकी अनुमोदित घरेलू विद्यार्थियों की कुल संख्या के अतिरिक्त अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यधीन मैरिट के आधार पर विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगी। स्टैंडअलोन संस्थाएं बिना किसी निबंधन के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क निर्धारित और प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

4.7 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित वेतन-मानों का अनुपालन करते हुए सुयोग्य संकाय को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना तैयार करेंगी, जिसकी यह शर्त होगी कि इस प्रोत्साहन संरचना के लिए संकाय को भुगतान उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा, न कि अभातशिप या सरकारी निधि से। ऐसी प्रोत्साहन संरचना कड़ाई से मैरिट-आधारित होगी जिसके सुपरिभाषित, पारदर्शी और विषयपरक मापदण्ड होंगे तथा यह सार्वभौमिक नहीं होगी। इसे स्टैंडअलोन संस्था के प्रबंधन मंडल द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदित किया जाना चाहिए। स्टैंडअलोन संस्था द्वारा उसके प्रबंधन मंडल द्वारा प्रोत्साहन संरचना को अनुमोदित किए जाने के तीस दिन के भीतर प्रोत्साहन संरचना की सूचना अभातशिप को दी जाएगी।

4.8 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स अथवा क्यूएस रैंकिंग्स की शीर्ष 500 विदेशी संस्थाओं अथवा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स अथवा क्यूएस रैंकिंग्स में विषयक्षेत्र निर्दिष्ट शीर्ष 200 रैंकिंग वाली संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोग स्थापित कर सकेंगी।

4.9 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षण माध्यम में पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकेंगी बशर्ते कि वे अभातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी सन्नियमों और मानकों की पूर्ति करती हों।

4.10 स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी संस्थाओं और शिक्षण संसाधन केन्द्र(द्रों) के वार्षिक अनुवीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी जैसा समय-समय पर यथा संशोधित/आशोधित अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) में निर्धारित किया गया है, सिवाए तब, जब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हों की वे मूलभूत न्यूनतम मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रही हैं अथवा वहां अनियमितताएं और कदाचार विद्यमान हैं।

4.11 यदि किसी परिनियम अथवा कार्यकारी आदेश के अधीन अभातशिप द्वारा कोई बाह्य समीक्षा की जानी अपेक्षित है, तो यह पर्याप्त होगा कि संस्था विनिर्दिष्ट समीक्षा प्रपत्र में अभातशिप को रिपोर्ट भेजे

5 श्रेणी – 2 स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए स्वायत्तता आयाम

- 5.1 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप को सूचित करते हुए ऐसे विषयक्षेत्रों में जो उनकी विद्यमान शैक्षणिक अवसंरचना का एक हिस्सा हैं उनके नवीन और नवोन्मेषी क्षेत्रों में अभातशिप के अनुमोदन के बिना डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नामावलियों के ऐसे साथ विषयक्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- 5.2 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा से संगत ऐसे कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो अभातशिप की अनुमोदित नामावली से संगत हों।
- 5.3 स्टैंडअलोन संस्थाएं, भारत सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन अभातशिप के अनुमोदन के बिना, उनकी कुल संस्वीकृत संकाय क्षमता के अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक ऐसे विदेशी संकाय की सेवाएं ले सकेंगी जिन्होंने विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग ढांचे, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन, वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग्स अथवा क्यूएस रैंकिंग्स की शीर्षस्थ पांच सौ (500) संस्थाओं में से किसी में शिक्षण कार्य किया हो। स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी शासी परिषदों/सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार आवधिक/संविदा आधार पर विदेशी संकाय को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी।
- 5.4 स्टैंडअलोन संस्थाएं उनकी अनुमोदित घरेलू विद्यार्थियों की कुल संख्या के अतिरिक्त अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यक्षीन मैरिट के आधार पर विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगी। स्टैंडअलोन संस्थाएं बिना किसी निबंधन के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क निर्धारित और प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
- 5.5 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित वेतन-मानों का अनुपालन करते हुए सुयोग्य संकाय को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना तैयार करेंगी, जिसकी यह शर्त होगी कि इस प्रोत्साहन संरचना के लिए संकाय को भुगतान उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा, न कि अभातशिप या सरकारी निधि से। ऐसी प्रोत्साहन संरचना कड़ाई से मैरिट-आधारित होगी जिसके सुपरिभाषित, पारदर्शी और विषयपरक मापदण्ड होंगे तथा यह सार्वभौमिक नहीं होगी। इसे स्टैंडअलोन संस्था के प्रबंधन मंडल द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदित किया जाना चाहिए। स्टैंडअलोन संस्था द्वारा उसके प्रबंधन मंडल द्वारा प्रोत्साहन संरचना को अनुमोदित किए जाने के तीस दिन के भीतर प्रोत्साहन संरचना की सूचना अभातशिप को दी जाएगी।
- 5.6 स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षण माध्यम में पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकेंगी बशर्त कि वे अभातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी सन्धियों और मानकों की पूर्ति करती हों।
- 5.7 स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी संस्थाओं और शिक्षण संसाधन केन्द्र(द्रों) के वार्षिक अनुवीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी जैसा समय-समय पर यथा संशोधित/आशोधित अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) में निर्धारित किया गया है, सिवाए तब, जब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हों की वे मूलभूत न्यूनतम मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रही हैं अथवा वहां अनियमितताएं और कदाचार विद्यमान हैं।
- 5.8 यदि किसी परिनियम अथवा कार्यकारी आदेश के अधीन अभातशिप द्वारा कोई बाह्य समीक्षा की जानी अपेक्षित है, तो यह पर्याप्त होगा कि संस्था विनिर्दिष्ट समीक्षा प्रपत्र में अभातशिप को रिपोर्ट भेजे।

6 खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंकों अथवा रैंकिंगों के अनुरक्षण न किए जाने पर स्टैंडअलोन संस्थाओं की कोटि में परिवर्तन करने के लिए

- 6.1 कोटि-I और कोटि-II के अधीन स्टैंडअलोन संस्थाएं तब तक अपनी संबंधित कोटियों में बनी रहेंगी, जब तक वे उस कोटि के लिए, यथास्थिति, खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंकों अथवा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंगों से संबंधित अपेक्षित मापदण्डों को अनुरक्षित करती हैं।
- 6.2 स्टैंडअलोन संस्था के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी परिवर्तित स्थिति के बारे में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर अभातशिप को सूचित करे।
- 6.3 यदि स्टैंडअलोन संस्था किसी कोटि में अपनी स्थिति अनुरक्षित करने में विफल रहती है और निम्न कोटि में नीचे चली जाती है, तो यह ऐसे अधोनति के दिन से ही इसे पहले प्रदान किए गए विशेषाधिकारों का लाभ उठाने की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह कि तत्कालीन उच्च स्थिति के साथ सहयोजित विशेषाधिकारों के अधीन की गई किसी भी प्रकार की पहल को उसकी अनुमोदित अवधि/औचित्यपूर्ण समाप्ति तक जारी रखे जाने की अनुमति दी जाएगी बशर्त कि प्रारंभ किए गए क्रियाकलाप/कार्यवाही की सूचना पूर्व में अभातशिप को दी गई है :

परंतु यह भी कि यदि ऐसी स्टैंडअलोन संस्था अपनी पूर्व की उच्च स्थिति पुनः प्राप्त कर लेती है, तो उस उच्च कोटि के विशेषाधिकार उसके दर्जे में हुए परिवर्तन की तारीख से उसे पुनः प्रदान कर दिए जाएंगे।

- 6.4 सभी स्टैंडअलोन संस्थाओं को अभातशिप पोर्टल पर विद्यार्थियों के आंकड़े प्रस्तुत (अपलोड) करने होंगे तथा वे राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) में अनिवार्यतः रजिस्टर करेंगे।
- 6.5 यदि एनएडी पर उपर्युक्तानुसार आंकड़े अपलोड नहीं किए गए हैं, तो अभातशिप संस्था को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन नहीं देगी अथवा अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगी।
- 7 **स्टैंडअलोन संस्थाओं के कोटिकरण के लिए प्रक्रिया**
- 7.1 अभातशिप वे तारीखें निर्धारित करेगी (एक वर्ष में कम-से-कम दो बार, अधिमानतः 1 जून और 1 दिसम्बर) जिस तक संस्था इन विनियमों के अधीन कोटिकरण के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुरोध प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार निर्धारित की गई तारीख को कम-से-कम तीन माह पूर्व अधिसूचित किया जाएगा।
- 7.2 ऐसे सभी आवेदनों की संवीक्षा अभातशिप द्वारा की जाएगी तथा कोटिकरण पर आदेश ऐसे आवेदनों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर पारित किए जाएंगे। इस अवधि के भीतर, संस्था और अभातशिप, दोनों ही ऐसे आवेदन को अपनी-अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।
- 8 **स्टैंडअलोन संस्थाओं की कोटि-I अथवा कोटि-II के अधीन पात्रता के लिए मापदण्डों/अपेक्षाओं में परिवर्तन, यदि कोई है**
- जब कभी ऊपर विनियम (3) में यथा वर्णित कोटिकरण मापदण्डों में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे अभातशिप द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 9 **वर्गीकृत स्वायत्तता विनियम बनाम अन्य विनियम**
- विनियमों के खंड 4 और 5 में उल्लिखित उपबंध अर्थात् क्रमशः कोटि-I स्टैंडअलोन संस्थाओं और कोटि-II स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए स्वायत्तता आयाम, अन्य अभातशिप विनियमों में किसी असंगत/विवादास्पद उपबंध के मामले में अभिभावी होंगे।
- 10 **कठिनाईयों का निराकरण**
- अभातशिप के पास भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए इन विनियमों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाई/कठिनाईयों का निराकरण करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रो० आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./496/18]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(All India Council for Technical Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the Friday, 18th January, 2019

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION [CATEGORISATION OF STANDALONE INSTITUTIONS (SIs) FOR [GRANT OF GRADED AUTONOMY] REGULATIONS, 2019

F. No. AICTE/P&AP/SIs/2019.—The following is published for general information:-

Preamble

Whereas All India Council for Technical Education (AICTE) is mandated to determine, promote and maintain the standards of higher education in Standalone Institutions (SIs);

Whereas, AICTE recognizes the need to create an enabling environment whereby Standalone Institutions can become institutions of global excellence;

Whereas, AICTE recognizes that autonomy is pivotal to promoting and institutionalizing excellence in higher education and that the regulatory framework needs to facilitate better performing institutions towards excellence in higher education.

Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 23 read with section 10(b) (g) (i) (m) of the All India Council for Technical Education Act, 1987, the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations: -

1. Short title, application and commencement: -

- (1) These regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2019.
- (2) They shall apply to all Standalone Institutions conducting courses/programmes with the approval of AICTE as per AICTE Act, 1987.
- (3) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette of India.

2. Definitions: -

In these regulations, unless the context otherwise requires: -

- (a) “Accreditation” means the process of quality control in higher education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by recognized accreditation agencies, a Standalone Institution or programme(s) conducted therein is recognised as conforming to benchmarked parameters of academic quality;
- (b) “Assessment” means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of Standalone Institution in terms of its physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and student evaluation procedures and governance structure prior to the commencement of its academic programmes;
- (c) “AICTE” means the All India Council for Technical Education as defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987;
- (d) “Score” means cumulative score as followed by NBA or any other Assessment and Accreditation Agencies (AAA) recognized by the AICTE under relevant AICTE regulations, while granting accreditation;
- (e) “National Board of Accreditation (NBA)” means the body established by the AICTE to assess and accredit among others the Standalone Institutions in the country;
- (f) “Open & Distance Learning” mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of a Standalone Institution or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;
- (g) “Times Higher Education/QS Rankings” means annual publication of university rankings by Times Higher Education (THE) magazine and by Quacquarelli Symonds (QS);
- (h) “Standalone Institutions” means those institutions which are not affiliated to any of the Universities, and imparting courses through regular or through Open and Distance Learning Systems, leading to Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma Levels in Management and allied areas, Computer Applications and Travel and Tourism with the approval of AICTE;

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 and not consistent with these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Framework for Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy

The AICTE shall categorize Standalone Institutions into following three categories i.e. Category-I, Category-II and Category-III based on the parameters laid down in sub-clauses (i), (ii) and (iii) and as notified by the AICTE through detailed guidelines from time to time.

(i) Category-I Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-I if

- a. It has been accredited by NBA with a score of 750 or above on a scale of 1000; or
- b. It has been ranked among top 500 of reputed world rankings, such as Times Higher Education or QS.

(ii) Category-II Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-II if

- It has been accredited by NBA with a score of 700 and above, upto 750 on a scale of 1000.

(iii) Category-III Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-III if it does not come either under Category-I or Category-II.

4. Dimensions of Autonomy for Category-I Standalone Institutions

- 4.1 Standalone Institutions shall be eligible for grants and no inspections by the AICTE shall be required for the same.
- 4.2 Standalone Institutions may start a new course/programme in disciplines that form a part of its existing academic framework without approval of the AICTE with the nomenclature of Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the AICTE.
- 4.3 Standalone Institutions may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the AICTE, consistent with the approved nomenclature of AICTE.
- 4.4 Standalone Institutions may open research parks, incubation centres, institute society linkage centres, in self-financing mode, either on its own or in partnership with private partners, without approval of AICTE. However, in all such arrangements, the ownership of all immovable property and that component of movable property procured through the resources of the Institution shall remain with the Standalone Institution.
- 4.5 Standalone Institutions, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of Government of India, may hire, without approval of the AICTE, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred (500) of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Times Higher Education World University Rankings or the QS Rankings, upto twenty percent over and above of their total sanctioned faculty strength. Standalone Institutions will have the freedom to hire foreign faculty on “tenure/contract” basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.
- 4.6 Standalone Institutions shall be free to admit foreign students on merit, subject to a maximum of twenty percent, over and above of the strength of their approved domestic students. Standalone Institutions would be free to fix and charge fees from foreign students without any restriction.
- 4.7 Standalone Institutions, while following the pay scales as laid down by the AICTE, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from AICTE or Government funds. Such incentive structure shall be strictly merit based with clear defined, transparent and objective criteria and shall not be universal. It must necessarily be approved by the Board of Management of the Standalone Institution. The AICTE shall be informed of the incentive structure within thirty days of approval by the Board of Management of the Standalone Institution.
- 4.8 Standalone Institutions may engage in academic collaborations with foreign institutions in top 500 of Times Higher Education World University Rankings or QS Rankings or top 200 of discipline specific ranking in Times Higher Education World University Rankings or QS Rankings without approval of the AICTE.
- 4.9 Standalone Institutions may offer courses in the Open and Distance Learning mode, without approval of the AICTE, provided it satisfies all the norms & standard laid down by AICTE from time to time.
- 4.10 Standalone Institutions shall be exempted from annual monitoring of their institutions and learning resource centre(s) as stipulated under AICTE Approval Process Handbook (APH) as amended /modified from time to time, except when there is substantive evidence of their not meeting basic minimum criteria or of irregularities or malpractices.
- 4.11 In case there is any external review required by the AICTE under any statute or executive order, then it would be sufficient that the institution sends a report to the AICTE in a prescribed review format.

5. Dimensions of Autonomy for Category-II Standalone Institutions

- 5.1 Standalone Institutions may start a new course/programme in disciplines that form a part of its existing academic framework without approval of the AICTE with the nomenclature of Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the AICTE.
- 5.2 Standalone Institutions may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the AICTE, consistent with the approved nomenclature of AICTE.

- 5.3 Standalone Institutions, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of Government of India, may hire, without approval of the AICTE, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Times Higher Education World University Rankings or the QS Rankings, upto twenty percent over and above of their total sanctioned faculty strength. Standalone Institutions will have the freedom to hire foreign faculty on “tenure/contract” basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.
- 5.4 Standalone Institutions shall be free to admit foreign students on merit, subject to a maximum of twenty percent, over and above of the strength of their approved domestic students. Standalone Institutions would be free to fix and charge fees from foreign students without any restriction.
- 5.5 Standalone Institutions, while following the pay scales as laid down by the AICTE, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from AICTE or Government funds. Such incentive structure shall be strictly merit based with clear defined, transparent and objective criteria and shall not be universal. It must necessarily be approved by the Board of Management of the Institution. The AICTE shall be informed of the incentive structure within thirty days of approval by the Board of Management of the Institution.
- 5.6 Standalone Institutions may offer courses in the Open and Distance Learning mode, without approval of the AICTE, provided it satisfies all the norms & standard laid down by AICTE from time to time.
- 5.7 Standalone Institutions shall be exempted from annual monitoring of their institutes and learning resource centre(s), as stipulated under AICTE approval process handbook as amended /modified from time to time, except when there is substantive evidence of their not meeting basic minimum criteria or of irregularities or malpractices.
- 5.8 In case there is any external review required by the AICTE under any statute or executive order, then it would be sufficient that the institution sends a report to the AICTE in a prescribed review format.

6. Change in Category of Standalone Institutions for non-maintenance of accreditation score or ranking as defined in Clause 3.

- 6.1 Standalone Institutions under Category-I and Category-II shall continue to be in their respective categories as long as they maintain the required parameters related to accreditation score or international ranking as defined in Clause 3, as the case may be, for that category.
- 6.2 It shall be incumbent upon Standalone Institution to intimate the AICTE, its changed status within thirty days of such a change.
- 6.3 If Standalone Institution fails to maintain status in a category and moves down to a lower category, it shall not be entitled to enjoy any privileges already accorded to it from the day of such downgrading:
Provided that any kind of initiatives taken under the privileges associated with erstwhile higher status shall be permitted to continue till their approved duration / logical conclusion, provided that the activity / action initiated has been communicated previously to the AICTE:
Provided further that if such Standalone Institution regains back its earlier higher status, the privileges of that higher category shall be restored from the day the status is changed.
- 6.4. All Standalone Institutions shall have to submit student’s data on AICTE portal and must register on National Academic Depository (NAD).
- 6.5 In case data is not uploaded as above on NAD the AICTE may not grant approval to the Institution for the next academic year or impose penalty as per Approval Process Handbook of AICTE.

7. Procedure for Categorization of Standalone Institutions

- 7.1 The AICTE shall fix dates (at least two times in a year, preferably 1st of June and 1st of December) by which an institution shall submit a request in prescribed format for categorization under these Regulations. The dates so fixed shall be notified at least three months in advance.
- 7.2 All such applications shall be scrutinized by the AICTE and orders on Categorization shall be passed within thirty days from the last date specified for the receipt of such applications. During this period, the Institution and the AICTE shall both place such application on their websites.

8. Change in parameters/requirements, if any, for eligibility under Category-I or Category-II of Standalone Institutions.

Whenever there is a change in the categorization parameters as detailed in Regulation (3) above, it shall be notified by the AICTE separately.

9. Graded Autonomy Regulations vis-à-vis other Regulations

The provisions mentioned in the clause 4 and 5 of the Regulations i.e. dimensions of autonomy for Category-I Standalone Institutions and Category-II Standalone Institutions respectively, shall prevail in case of any inconsistent/conflicting provisions in the other AICTE Regulations.

10. Removal of Difficulties

AICTE reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementation of these Regulations in consultation with the Government of India/ Ministry of Human Resource Development.

PROF. A. P. MITTAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./496/18]